

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/6962

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 26.08.25

**प्रार्थी**  
1 प्रहलादसिंह उर्फ  
भभूतसिंह पुत्र सुखसिंह  
जाति राजपूत निवासी  
महाबार तहसील व जिला  
बाड़मेर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**  
1 जोगराजसिंह 2 हिगोलसिंह 3 मालसिंह पिसरान रावतसिंह  
4 इन्द्राकंवर पत्नि रावतसिंह 5 जुगतसिंह 6 आम्यसिंह  
पिसरान नगसिंह 7 एवनकंवर पत्नि दलपतसिंह जाति राजपुत  
निवासी भागवा हाल शास्त्री नगर बाड़मेर 8 सगतसिंह 9  
जेतमालसिंह 10 तनसिंह 11 वीरसिंह पिसरान गेमरसिंह 12  
टीलसिंह 13 कानसिंह पिसरान वेरीसालसिंह 14 कंवरकंवर  
पत्नि वेरीसालसिंह 15 आईदानसिंह पुत्र जगमालसिंह 16  
राणीकंवर पत्नि वीरसिंह 17 नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह 18  
उगमसिंह 19 भीखसिंह पिसरान भूरसिंह 20 कसुम्बाकंवर पत्नि  
भूरसिंह 21 जोगराजसिंह 22 देवीसिंह 23 नरपतसिंह पिसरान  
उम्मेदसिंह 24 शांतिकंवर पत्नि उम्मेदसिंह 25 अशुमानसिंह पुत्र  
नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 387/2025

दिनांक- 19/08/2025

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर महाबार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 189 रकबा 102.10 बीघा, खसरा संख्या 188 रकबा 08 बिस्वा, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक-

26.08.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6963-66  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीग प्रहलादसिंह उर्फ भभूतसिंह उर्फ सुखसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जोगराजसिंह पुत्र रावतसिंह वगैरह जाति राजपुत निवासी भागवा हाल शास्त्री नगर बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर